

प्रेस-विज्ञप्तिथाना जहानागंज में हुई लूट, डकैती व छिनैती की घटना से सम्बन्धित 05 वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 25-25 हजार का नकद पुरस्कार घोषित

आज दिनांक- 12.07.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना जहानागंज पर पंजीकृत मु.अ.स. 289/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में 05 वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से प्रत्येक अभियुक्त पर 25-25 हजार का नकद पुरस्कार घोषित किया गया।

अभियुक्तों द्वारा स्वयं के लिए एवं अपने गिरोह के सदस्य के लिए आर्थिक, भौतिक तथा दुनियाबी लाभ हेतु लूट, डकैती व छिनैती के अपराध में यह गैंग अग्रसर हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जहानागंज पर कुल 06 मुकदमें दर्ज हैं। दिनांक- 08.07.2022 को अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है।

वांछित अभियुक्तों का विवरण निम्नवत है:-

1. अवधराज राजभर पुत्र महेश राजभर निवासी सिगाड़ी थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ।
2. अजय यादव पुत्र ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना निवासी कयानपुर थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ।
3. रोहित यादव उर्फ बी0एस0एफ भाई पुत्र रामचेत निवासी भीखमपुर थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
4. मनोज यादव उर्फ मोनू यादव पुत्र अशोक यादव निवासी श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
5. हेरेन्द्र यादव पुत्र फौजदार यादव निवासी मानपुर चिरकुटहा थाना सरायलखन्सी, जनपद-मऊ।

थाना- कप्तानगंजहत्या का आरोपी आला कत्ल कुदाल के साथ गिरफ्तार।

1.पूर्व की घटना - दिनांक 10.07.2022 को वादी श्री राकेश निषाद पुत्र रामबेलास निषाद ग्राम व पोस्ट खलिफतपुर तहसील निजामाबाद जिला आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 09/07/2022 को रात करीब 10 बजे खाना खाकर सोये थे रात में 3 बजे मेरी छोटी बहन बाथरूम के लिए उठी तो देखी कि माँ मीला देवी चारपाई पर अकेले खून से लथपथ है और तड़प रही है। मेरे पिता वहां पर नहीं थे मेरे माता पिता खाना खा कर एक ही चारपाई पर सोये थे बहन ने तब हम लोगो को जगाकर बताई तो उसके बाद मैं मेरा भाई बृजेश अपनी माँ को लेकर जिला अस्पताल आजमगढ़ गये जहां से डाक्टर दोवारा मेरी माँ को B.H.U. वाराणसी के लिए रेफर किया गया रास्ते में मेरी माँ मीला देवी की मृत्यु हो गयी तब हम लोग दोनो भाई अपनी माँ को घर लेकर आये मेरे पिता मेरे मां के चरित्र पर हमेशा शंका करते थे मेरे पिता ने ही रात में कुदाल से मार कर हत्या कर दिया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 206/22 धारा 302 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना संपादित की जा रही है।

2.गिरफ्तारी का विवरण -थानाध्यक्ष मय हमराही कर्मचारी गण द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामबेलास निषाद पुत्र अन्तू निषाद निवासी खलीफतपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ जो गोपालगंज बाजार के पास समय करीब 08.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त को साथ लेकर उसके घर से अभियुक्त द्वारा दर्शाये गये स्थान से आला कत्ल बरामद करके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 206/22 धारा 302 भा0द0वि0 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामबेलास निषाद पुत्र अन्तू निषाद निवासी खलीफतपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
बरामदगी -

एक अदद आला कत्ल कुदाल

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 संजय कुमार का0 भाष्कर मिश्रा, का0 मुकेश आजाद, कां0 कामता पटेल थाना कसानगंज जनपद आजमगढ़

थाना सरायमीर

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09.07.2022 को थानाध्यक्ष ववेक कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा थाना सरायमीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 133/2022 धारा 376/504/506 भादव व ¾ पाक्सो एक्ट मे पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी व मा0 न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत 164 सीआरपीसी के आधार पर प्रकाश मे आये अभियुक्त संदीप चौहान पुत्र शिवपूजन चौहान निवासी रंगडीह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र – 27 वर्ष को मुखबिर सूचना पर कुरियावां तिराहे के पास से समय करीब 12.20 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लेकर उसका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 133/2022 धारा 376/504/506 भादव व ¾ पाक्सो एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संदीप चौहान पुत्र शिवपूजन चौहान निवासी रंगडीह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री ववेक कुमार पाण्डेय थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 विपिन कुमार यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का0 अतुल प्रताप सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. का0 ऋषभ शुक्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
5. म0का0 ऐश्वर्या पटेल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
6. म0का0 मनीषा दुबे थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया

चोरी के मटेरियल व डीसीएम वाहन के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व का विवरण- दिनांक 09.07.2022 को अभियुक्त राहुल सिंह द्वारा अपने साथी अर्जुन कुमार के साथ मिलकर कन्ट्रेशन मटेरियल (सटरिंग प्लेट, एंगल, क्राप जैक आदि) चोरी करके डी0सी0एम0 व बोलेरो कैम्पर पर लोड करते वक्त सूचना पर पुलिस डी0सी0एम0 सं0 UP50AT5116 मौके पर पकड़ लेना व अंधेरी रात्रि का फायदा उठाकर अभियुक्त द्वारा मौके से भाग गया, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 11.07.2022 को थाना स्थानीय पर संतोष कुमार सिंह (लाइजनिंग मैनेजर मेसर्स दिलीप लिमिटेड भोपल कम्पनी) निवासी ग्राम मण्डोही थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 230/22 धारा 379/411 IPC पंजीकृत किया गया था।

2. गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 12.07.2022 को उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र रामपुकार सिंह निवासी चकनिया थाना पिपरा जनपद मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण) बिहार को मदियापार मोड़ से समय करीब 07.45 AM पर हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 230/22 धारा 379/411 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राहुल सिंह पुत्र रामपुकार सिंह निवासी चकनिया थाना पिपरा जनपद मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण) बिहार बरामदगी –

डी0सी0एम0 सं0 UP50AT5116 मय चोरी माल कन्ट्रेशन मटेरियल (सटरिंग प्लेट, एंगल, क्राप जैक आदि)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 शैलेश कुमार यादव 2. का0 आनंद कुमार 2. का0 अमित जायसवाल थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह

धोखे से अपने लाभ के लिये जमीन को अपने नाम वरासत करा लेना 02 वांछित अभि0 गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दि० 31.03.22 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ प्रकिर्ण वाद संख्या 768/2021 भगवानी बनाम रामधारी जिसमें माननीय न्यायालय का आदेश दिनांकित 03.03.2022 के क्रम मे वादिनी श्रीमती भगवानी पत्नी स्व० सूर्यबली ग्राम चौकी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ की सूचना के बावत विपक्षी 1.रामधनी पुत्र स्व० चन्द्रबली 2.छोटेलाल पुत्र स्व० चन्द्रबली 3.हीरालाल पुत्र स्व० चन्द्रबली 4.विजय सरोज पुत्र सीताराम निवासी गण ग्राम चौकी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ 5.राजेश कुमार भाष्कर पुत्र कन्हैया लाल ग्राम अमौड़ा तहसील लालगंज जनपद आजमगढ़ 6.तत्कालीन लेखपाल हल्का चौकी तहसील मार्टीनगंज जनपद आजमगढ़ नाम पता अज्ञात 7.तत्कालीन कानूनगो हल्का चौकी तहसील मार्टीनगंज जनपद आजमगढ़ नाम पता अज्ञात द्वारा जानबूझ कर बेइमानी पूर्वक अपने लाभ के लिये हल्के के लेखपाल व कानूनगो को साजिश में कर के खुद व खुद के लडके के हिस्से की आराजी नं० 327ख रकबा 0.077 हे० की भूमि को अपने -अपने नाम वरासत करा लेना के संबंध मे थानास्थानीय पर मु०अ०सं० 80/2022धारा 419,420,467,468,120बी भादवि पंजीकृत होकर विवेचना व०उ०नि० श्री शमशेर यादव द्वारा सम्पादित की गई।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 12.07.22 प्र०नि० संजय सिंह एवं व०उ०नि० शमशेर यादव मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित 1.छोटेलाल पुत्र चन्द्रबली 2.रामधनी पुत्र चन्द्रबली सा० बरदह थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को बरदह चौराहे के पास से समय करीब 10.25 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 80/22 धारा 419/420/467/468/120 बी भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1- छोटेलाल पुत्र चन्द्रबली
- 2- रामधनी पुत्र चन्द्रबली सा० बरदह थाना बरदह जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम-

- संजय सिंह (प्र०नि०) थाना बरदह जनपद आजमगढ़
शमशेर यादव (व०उ०नि०) थाना बरदह जनपद आजमगढ़
रवि यादव (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़
सुविन्द्र गुप्ता (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

अवैध गांजा व मोटरसाइकिल से साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 12.07.22 को प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह मय हमराहियान द्वारा बर्दा चौराहे के पास से चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोहम्मद अहमद पुत्र स्व० निसार अहमद निवासी पुरानी चौक कस्बा शाहगंज थाना शाहगंज जनपद जौनपुर के पास से 19.824 कि०ग्रा० अवैध गांजा बरामद किया गया, अभियुक्त का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 8/20 NDPS Act का अपराध है। मौके पर मोटर साइकिल नं० UP50 AV 2331 को अन्तर्गत धारा 207 MV Act मे सीज किया गया। अभियुक्त को समय 11.25 पर कब्जा पुलिस व बरामद अवैध एवं मोटर साइकिल को कब्जा पुलिस लिया गया। तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 236/22 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1- मोहम्मद अहमद पुत्र स्व० निसार अहमद निवासी पुरानी चौक कस्बा शाहगंज थाना शाहगंज जनपद जौनपुर बरामदगी-

- 1-नाजायज गांजा कुल 19.824 कि०ग्रा० है
- 2- एक अदद मोटर साइकिल नं० UP50 AV 2331 अपाचे

पुलिस टीम-

- संजय सिंह (प्र०नि०) जितेन्द्र राय (उ०नि०) मनोज कुमार गुप्ता (आरक्षी) सुधाकर सिंह (आरक्षी) अमित चौरसिया (आरक्षी) अमरनाथ शर्मा (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना- फूलपुर

गैंग्स्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1.घटना का विवरण --- दिनांक 17.01.2022 को श्रीमती सिम्पल सिंह पत्नी सुधीर सिंह साकिन मंगलबाजार कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 28/2022 धारा 307 भादवि बनाम 1. अनिल सिंह उर्फ पप्पू सिंह 2.

सुशील सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र गण स्व० पारसनाथ सिंह साकिन मंगल बाजार कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ अभियोग पंजीकृत किया गया तत्पश्चात मजरुब वादिनी के पिता भरत सिंह पुत्र रामचरित्र सिंह साकिन खैरा थाना रानी की सराय आजमगढ़ की दौराने इलाज मृत्यु हो जाने पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 307 का विलोपन कर धारा 302 भादवि मे तरमीम किया कर विवेचना से आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अभि०गण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं०- A 79/21 दिनांक 03.04.2022 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। जिसके बावत अभियुक्त के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के समक्ष गैंग चार्ट तैयार कर प्रेषित किया गया। जिसमे जिला मजस्ट्रेट आजमगढ़ के गैंग चार्ट अनुमोदित करने के उपरान्त गैंग चार्ट प्राप्त होने पर दिनांक 11/7/2022 को अभि० उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 239/2022 धारा धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ०नि० अशोक कुमार मौर्य द्वारा प्रारम्भिक विवेचना सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण- दिनांक 12.07.2022 प्र०नि० अनिल कुमार सिंह मय हमरहियान द्वारा मुकदमें से सम्बन्धित वाञ्छित अभियुक्त 1. अनिल सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र स्व० पारस नाथ सिंह सा० मंगल बाजार कस्बा फूलपुर आजमगढ़ को फूलपुर बस अड्डे के पास से समय करीब 09.50 बजे दिन कस्बा फूलपुर रोडवेज पर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

सम्बन्धित मुकदमा -

मु०अ०सं० 239/2022 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1. अनिल सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र स्व० पारस नाथ सिंह सा० मंगल बाजार कस्बा फूलपुर आजमगढ़

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1.	28/2022	302 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
2.	239/2022	3(1) उ०प्र० गैगेस्टर एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनिल सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र स्व० पारस नाथ सिंह सा० मंगल बाजार कस्बा फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र०नि० अनिल कुमार सिंह हे०का० कमलेश मिश्रा का० विनोद यादव का० अरविन्द तिवारी थाना- फूलपुर आजमगढ़

थाना अतरौलिया

गैंगस्टर एक्ट में 02 वाञ्छित अभियुक्त गिरफ्तार

1. **पूर्व का विवरण-** प्रभारी निरीक्षक श्री रुद्र भान पाण्डेय थाना अतरौलिया के लिखित तहरीर पर अभियुक्त 1. अन्तेष्ट सिंह उर्फ रुपेश सिंह पुत्र अरविन्द सिंह उर्फ लाल सिंह निवासी बूढनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2. दीपक चौबे पुत्र लक्ष्मीकान्त चौबे निवासी कस्बा बूढनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 3. ऋषि यादव पुत्र राम जीत यादव निवासी ईश्वरपुर पवनी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 11.07.2022 को मु०अ०सं० 231/22 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप नि० अधि० 1986 थाना अतरौलिया में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों का संगठित आपराधिक गिरोह है जिसका गैंगलीडर अन्तेष्ट सिंह उर्फ रुपेश सिंह पुत्र अरविन्द सिंह उर्फ लाल सिंह निवासी बूढनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ है। इस गैंग द्वारा लूट, मारपीट कर फिरौती हेतु अपहरण का अपराध कारित किया गया है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध मु०अ०सं० 26/22 धारा 323, 392, 364A, 411 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पूर्व में भी पंजीकृत किया गया था।

2. **गिरफ्तारी का विवरण:-** आज दिनांक 11.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक रुद्रभान पाण्डेय मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अन्तेष्ट सिंह उर्फ रुपेश सिंह पुत्र अरविन्द सिंह उर्फ लाल सिंह निवासी बूढनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2. ऋषि यादव पुत्र राम जीत यादव निवासी ईश्वरपुर पवनी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को उनके घरों से दबिश देकर क्रमश समय 07.00 AM और 07.30 AM पर हिरासत पुलिस में लिया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा० न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. 231/22 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप नि० अधि० 1986

थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अन्तेष्ट सिंह उर्फ रुपेश सिंह पुत्र अरविन्द सिंह उर्फ लाल सिंह निवासी बूढनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

2. ऋषि यादव पुत्र राम जीत यादव निवासी ईश्वरपुर पवनी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

पूर्व का आपराधिक इतिहास-

(1) - अन्तेष्ट सिंह उर्फ रुपेश सिंह 1. मु0अ0सं0 26/22 धारा 323, 392,364A,411 थाना- अतरौलिया

(2) - ऋषि यादव 1. मु0अ0सं0 26/22 धारा 323, 392,364A,411 थाना- अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक रूद्रभान पाण्डेय 2. मनोज यादव, 3. का0 महेश सरोज 4. का0 मोनू यादव 5. म0का0 नेहा तिवारी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना- महाराजगंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, आधा दर्जन मुकदमें दर्ज

अवैधशस्त्र बनाने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा दिये गये निर्देश के दिनांक- 12.07.22 को उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन बेकारु तिराहा से संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग से मय गिरफ्तार शुदा एक नफर अभियुक्त दुर्गा सिंह उर्फ मुलायम सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी दशराजपट्टी थाना महाराजगंज आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर समय करीब 07.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 263/2022 धारा 3/25 A. ACT थाना- महाराजगंज, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	282/09	394 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
2	134/13	307, 323, 504, 506 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
3	256/16	110 CRPC	महाराजगंज	आजमगढ़
4	140/18	147, 149, 323, 504, 506 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
5.	98/21	272,273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम	महाराजगंज	आजमगढ़
6.	140/18	395,397 भादवि	महाराजगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. दुर्गा सिंह उर्फ मुलायम सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी दशराजपट्टी थाना महाराजगंज आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO श्री कमलकान्त वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह हे0का0 हरेन्द्र यादव, का0 अखिलेश यादव थाना महाराजगंज आजमगढ़।

थाना सरायमीर

चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, आधा दर्जन मुकदमें दर्ज।

दिनांक 11.07.2022 को उ0नि0 आसुतोष मिश्रा व उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा बस्ती नहर पुलिया से शेरवा जाने वाले मार्ग बहद ग्राम बस्ती के पास चेकिंग के दौरान एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ एक नफर अभि0 नदीम अहमद पुत्र दोस्त मुहम्मद निवासी पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को समय करीब 17.35 बजे गिरफ्तारी किया गया, जिसके विरुद्ध मु0अ0सं0 135/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 135/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 270/12 धारा 110जी थानास सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 434/13 धारा 147/323/504/506 भादवि व 3(1)(x) एससी/एसटी एक्ट थाना सरायमीर
3. मु0अ0सं0 501/10 धारा 380/457 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 684/10 धारा 380/457 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 711/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 784/10 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नदीम अहमद पुत्र दोस्त मुहम्मद निवासी पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आशुतोष मिश्रा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 संदीप यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
4. का0 हिमांशू सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
5. का0 हितेन्द्र कुमार यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।